न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी – मुरलीधर प्रतिहार (आर.ए.एस.)

अपील संख्या : 2025/345

गायत्री मीणा पत्नि हरिराम मीणा जाति मीणा निवासी ग्राम तालछी तहसील दीगोद जिला कोटा

––अपीलांट

बनाम

1. पिंकी तथाकथित पुत्री लक्ष्मीचंद पत्नि शंभूदयाल जाति माली निवासी ग्राम तालछी तहसील सांगोद जिला कोटा हाल चौमा मालियान तहसील दीगोद जिला कोटा राज.
2. लक्ष्मीचंद पुत्र भेरू जाति माली निवासी ग्राम तालछी तहसील सांगोद जिला कोटा

उपस्थित वक्त बहस :– 1. श्री रामरतन मीणा, अभिभाषक, अपीलांट की ओर से।
2. श्री धीरेन्द्र मालव, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से।
3. श्री अरविन्द मीणा, अभिभाषक, रेस्पो. संख्या 2 की ओर से।

निर्णय **दिनांकः 31.12.2025**

1. अपीलांट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांगोद, जिला कोटा के प्रकरण संख्या 19/2019 में पारित निर्णय दिनांक 25.08.2025 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में मूलवाद के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थीनी के पिता अप्रार्थी के संयुक्त खाते व कब्जे काश्त की आराजी माल ग्राम तालछी पटवार हल्का दीगोद तहसील सांगोद जिला कोटा मे खाता स० नइ 24 खसरा संख्या 170 कुल 1

किता की 0.02 हेक्टर व खाता स० नई 55 खसरा संख्या 54 की 1.51 हेक्टर कुल 1 किता की 1.51 हेक्टर एवं खाता स० नई 56 की खसरा संख्या 217, 227 व 228 कुल 3 किता की 0.18 हेक्टर आराजीयात स्थित है। प्रार्थीनी व अप्रार्थी आपस मे पिता व पुत्री है, प्रार्थीनी के अलावा अप्रार्थी के अन्य कोई सन्तान नही है, प्रार्थीनी ही एक मात्र सन्तान विधिक वारिस है। प्रार्थना–पत्र की मद न. 2 में वर्णित माल ग्राम तालछी पटवार हल्का दीगोद तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान मे खाता स० नई 24 खसरा संख्या 170 कुल 1 किता की 0.02 हेक्टर में अप्रार्थी का निहित हिस्सा व खाता स० नई 55 खसरा न0 54 की 1.51 हेक्टर कुल 1 किता की 1.51 हेक्टर मे अप्रार्थी का 1/2 हिस्सा एवं खाता स० नई 56 कुल 3 किता की 0.18 हेक्टर मे अप्रार्थी का 1/6 हिस्सा आराजीयात स्थित है, उक्त आराजीयात प्रार्थीनी के पिता यानि की अप्रार्थी को प्रार्थीनी के दादाजी स्व० भैरू से उत्तराधिकार मे प्राप्त आराजी है, जो कि प्रार्थीनी की पैतृक पुश्तेनी आराजी है। प्रार्थीनी व अप्रार्थी पिता पुत्री है, तथा उक्त आराजी उत्तराधिकार मे प्राप्त पुश्तेनी आराजी है, जिसमे हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थीनी का जन्म से ही हक व हिस्सा निहित है। तथा प्रार्थीनी अप्रार्थी की एक मात्र विधिक वारिस होने से अप्रार्थी के साथ बाइ बर्थ राइट होने से बांट बराबर का हक व हिस्सा निहित है। प्रार्थीनी द्वारा अप्रार्थी से उक्त पुश्तेनी हक व हिस्से अनुसार राजस्व रेकार्ड में प्रार्थीनी का नाम दर्ज करवाने हेतु तहसील कार्यालय में चलने की कहने पर अप्रार्थी आश्वासन देते रहे, तथा आज से करीब एक माह पूर्व वादीनी द्वारा पुनः अप्रार्थी से तहसील कार्यालय मे चलकर राजस्व रेकार्ड मे अप्रार्थी के साथ वादीनी का नाम दर्ज करवाने की कहने पर अप्रार्थी द्वारा साफ मना कर दिया, तथा राजस्व रेकार्ड में नाम दर्ज होने के आधार पर आराजी हिस्सा को खुर्द बुर्द करने की धमकी दी है, ऐसी स्थिति मे प्रार्थीनी के लिए माननीय न्यायालय मे वाद प्रस्तुत कर राजस्व रेकार्ड अप्रार्थी के साथ बांटबराबर से हक की घोषणा, इन्द्राज दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा के वाद के साथ प्रार्थना पत्र बाबत चाहने अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर अप्रार्थी को पाबन्द करावे, जिसके लिए प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। यदि अप्रार्थी को जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला वाद से पाबन्द नहीं किया गया, तो अप्रार्थी अपने अवैधानिक कृत्य मे सफल हो जावेगा, जिससे प्रार्थीनी को अपने पुश्तेनी हिस्से की आराजी के उपयोग उपभोग से भी वंचित होना पड जावेगा, जिससे प्रार्थीनी को ऐसी अपरिमितक्षति होगी, जिसकी पूर्ति भविष्य मे नही हो सकेगी। प्रार्थीनी का वाद पेश करना ही बेकार हो जावेगा। प्रार्थीनी का प्रथम दृष्टया केस है, और सुविधाओ का सन्नतुलन भी प्रार्थीनी के पख मे विध्यमान है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीनी के पक्ष मे व अप्रार्थी के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला वाद पारित फरमायी जावे, कि अप्रार्थी माल ग्राम तालछी पटवार हल्का दीगोद तहसील सांगोद जिला कोटा मे खाता स० नइ 24 खसरा न0170 कुल 1 किता की 0.02 हेक्टर व खाता स० नई 55 खसरा न0 54 की 1.51 हेक्टर कुल 1 किता की 1.51 हेक्टर एवं खाता स० नई 56 कुल 3 किता की 0.18 हेक्टर आराजीयात के राजस्व रेकार्ड में नाम दर्ज होने का लाभ उठाकर अप्रार्थी

बिना विधिवत आराजी का बंटवारा करवाये आराजी को खुर्द बुर्द हस्तान्तरण आदि नही करे, तथा प्रार्थीनी को उसका पुश्तेनी हक व हिस्से की आराजी को शांति पूर्वक काश्त व उपयोग उपभोग करने दे, किसी प्रकार की बाधा कारित नही करे, उक्त कृत्य न तो अप्रार्थी स्वयं करे, और न ही अपने किन्ही नौकरो व एजेन्टो से ऐसा करावे।

3. उक्त आशय का प्रार्थना–पत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 25.08.2025 को प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को मूलवाद के निस्तारण तक वादग्रस्त आराजी के मोके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किए किए जाने का निर्णय पारित किया।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.08.2025 से व्यथित होकर अपीलांट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.08.2025 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25. 08.2025 को निरस्त फरमाया जावे ।

5. अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 जरिये अधिवक्ता उपस्थित रहे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

6. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मेमो में अंकित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं विधि के प्रावधानो के सर्वथा विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कतई गलत रूप से रिकार्ड व बिना किसी प्रमाण के वादीनी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट स्वीकार कर गलत रूप से खातेदार टेनेन्ट के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश जारी करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं फरमाया कि विवादित आराजी का खातेदार लक्ष्मीचन्द था जिसको उक्त आराजी का उपयोग उपभोग करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त था तथा लक्ष्मीचन्द द्वारा अपने अधिकारो को उपयोग करते हुये अपनी आराजी को अपीलान्ट को अपना 1/2 हिस्सा आराजी का बेचान किया जा चुका है तथा कब्जा दिया जा चुका है तथा राजस्व रिकार्ड जमाबंदी मे भी उनका नाम बहैसियत खातेदार टेनेन्ट दर्ज हो चुका है इसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व रिकार्ड को देखे बिना ही मनमाने तौर

पर आदेश जेर अपील प्रदान करने में त्रुटि की है। वादिनी रेस्पो० न०1 प्रति० रेस्पो० न0 2 की पुत्री नहीं है इस बात का पूर्ण उल्लेख अपने जवाब प्रार्थना पत्र मे किया गया है इस तथ्य को नजर अन्दाज कर आदेश जेर अपील पारित किया गया है जो कि हर प्रकार से काबिल निरस्तनीय है। वादिनी रेस्पो० न01 न तो लक्ष्मीचन्द की पुत्री है ना ही उसका कभी कब्जा लक्ष्मीचन्द की आराजी मे रहा है और न ही है वर्तमान मे उक्त आराजी पर केतागण बहैसियत मालिक खातेदार काबिज काश्त है। वादीनी द्वारा प्रस्तुत वाद जो उसने अपने आपको लक्ष्मीचन्द जी पुत्री होना बताया है तथा लक्ष्मीचन्द जी उसको अपनी पुत्री होने से इन्कार कर रहे है तो ऐसी स्थिति में वादिनी को सक्षम न्यायालय से अपने आपको लक्ष्मीचन्द जी की पुत्री होना घोषित करवाना चाहिये था ऐसा नही करने से वादिनी द्वारा प्रस्तुत वाद ही मेन्टेनेबल नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं फरमाया कि वादिनी रेस्पो० का केस न तो प्राईमाफेसी है ना ही सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति का बिन्दू उसके पक्ष है इसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय ने खातेदार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश पारित करने मे त्रुटि की है जब कि कानूनन खातेदार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। अपीलान्ट विवादित आराजी का 1/2 हिस्से की खातेदार काबिज काश्त है तथा अपीलान्ट का केस पूर्णतया प्राईमाफेसी है तथा अपूर्णीय क्षति का बिन्दू भी अपीलान्ट के पक्ष में निहित है। अपीलान्ट को अपने खाते व कब्जे व हिस्से की भूमि का उपयोग उपभोग करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है आदेश जेर अपील से अपीलान्ट के हित प्रभावित होते है उक्त तथ्य रिकार्ड पर होते हुये भी अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश जेर अपील पारित करने में त्रुटि की है। अन्त में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.08.2025 निरस्त किए जाने का निवेदन किया।

7. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी प्रार्थी के पिता अप्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के खाते की भूमि है। वादग्रस्त आराजी प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को उसके पिता अर्थात रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के दादा स्व0 भैरू से उत्तराधिकार में प्राप्त हुई है। वादग्रस्त आराजी प्रार्थीया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की पुश्तैनी भूमि है जिसमें प्रार्थीया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का 1/6 हिस्सा निहित है। वादग्रस्त आराजी पुश्तैनी भूमि होने से वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का जन्म से ही हक अधिकार निहित है। वादग्रस्त आराजी को अप्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 विभाजन करवाए बिना ही खुर्द–बुर्द व दीगर व्यक्ति को हस्तांतरित करने पर आमादा है जिसका रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को कोई अधिकार नहीं है। अतः रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को वादग्रस्त आराजी का विभाजन करवाये बिना आराजी को खुर्द–बुर्द व हस्तांतरित नहीं किए जाने बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है। अपीलांट का वादग्रस्त आराजी में कोई हक अधिकार व कब्जा काश्त नहीं है। अपीलांट वादग्रस्त आराजी के सम्बंध में किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.08.2025 विधि

सम्मत है तथा इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज किए जाने योग्य है। अपनी बहस के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से न्यायिक दृष्टांत 2016(2) आर.आर.टी. पेज 1163, 2015(1) आर.एल.डब्ल्यु. पेज 450 राज., 2016(1) डी.एन.जे. राज. पेज 393 प्रस्तुत किए। अन्त में अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.08.2025 यथावत रखे जाने का निवेदन किया।।

8. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने अपनी बहस में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.08.2025 निरस्त किए जाने का निवेदन किया।

9. हमने उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रश्नगत प्रार्थना–पत्र में वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम तालछी की खसरा संख्या 170, 217, 227, 228, 54 की भूमि के सम्बंध में अप्रार्थीगण के विरूद्ध वादग्रस्त आराजी को खुर्द–बुर्द एवं हस्तांतरित नहीं करने तथा प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के कब्जे काश्त में दखलंदाजी नहीं किए जाने बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किए जाने का अनुतोष चाहा है। प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का कथन है कि वादग्रस्त आराजी प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की पुश्तैनी भूमि है जो उसके पिता अप्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लक्ष्मीचन्द को उसके पिता अर्थात प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के दादा स्व0 भैरू जी की मृत्यु के पश्चात विरासत से प्राप्त हुई है, अतः वादग्रस्त आराजी पुश्तैनी भूमि होने के कारण प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का वादग्रस्त आराजी में जन्म से हक अधिकार निहित है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्वत् 2070 से 2073 के अनुसार प्रश्नगत खसरा संख्या 170 तथा खसरा संख्या 54 एवं जमाबंदी सम्वत् 2074 से 2077 के अनुसार खसरा संख्या 217, 227, 228 की भूमि लक्ष्मीचन्द एवं अन्य खातेदारान की संयुक्त खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है। जमाबंदी सम्वत् 2074 से 2077 में प्रश्नगत खसरा संख्या 217, 227, 228 की भूमि तथा जमाबंदी सम्वत् 2070 से 2073 के अनुसार खसरा सख्या 170 की भूमि स्व. भैरू के वारिसान एवं अन्य खातेदारान की संयुक्त खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है अतः वादग्रस्त आराजी अप्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के खाते में विरासत से दर्ज होना प्रकट होता है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का कथन है कि वादग्रस्त आराजी का विभाजन करवाये बिना ही रेस्पोडेन्ट संख्या 2 वादग्रस्त आराजी को दीगर व्यक्ति को हस्तांतरित करने एवं खुर्द बुर्द करने पर आमादा है। हमारे मत में वादग्रस्त आराजी को संरक्षित किया जाना आवश्यक है ताकि वाद बहुलता नहीं बढ़े। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय

दिनांक 25.08.2025 में अप्रार्थीगण को वादग्रस्त आराजी को हस्तांतरित व खुर्द बुर्द नहीं किए जाने बाबत पाबन्द किए जाने का जो आदेश अंकित किया है वह विधि सम्मत है। अपीलांट का कथन है कि वादग्रस्त आराजी उसके द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र से खरीद की गई है तथा अपनी खरीदशुदा भूमि पर अपीलांट काबिज होकर काश्त कर रही है। अपीलांट ना तो वादग्रस्त आराजी की अभिलिखित खातेदार है और ना ही अपीलांट द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है जिससे वादग्रस्त आराजी उसके द्वारा खरीद किया जाना प्रकट होता हो। अपीलांट द्वारा वादग्रस्त आराजी को पंजीकृत विक्रय–पत्र से खरीद किए जाने के कथन समर्थन में कोई दस्तावेज ना तो अधीनस्थ न्यायालय में और ना ही न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया गया है। साथ ही अपीलांट का वादग्रस्त आराजी पर कब्जा काश्त होना प्रमाणित होता हो। अतः प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति का बिन्दु अपीलांट के पक्ष में होना प्रकट नहीं होता है। अपीलांट हस्तगत अपील में अंकित कथनों को प्रमाणित करनें में असफल रहे है। अतः अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज किए जाने योग्य है।

10. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा के प्रकरण संख्या 19/2019 में पारित निर्णय दिनांक 25.08.2025 यथावत रखा जाता है।

11. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटाई जावे।

12. निर्णय आज दिनांक 31.12.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

31/12/25

(मुरलीधर प्रतिहार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा